कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
Ph. No. – 05966-297600 Email ID- cdpwdrkt@gmail.com

UTTARAKHAND

पत्रांक 835 / 18सी0 दिनांक 27/04/ 2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड, चौखुटिया में कुनीगाड़–हिरूली बाजार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.35 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि विषयक मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि का पूर्व में ग्राम– भटकोट में चयन किया गया था। उक्त भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त न होने के कारण पुनः जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय पत्रांक संख्या–4360 / ग्यारह–14 / 2017–18, दिनांक 04.06.2018 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–नैणी में उपलब्ध करायी गयी है, जिसका नामान्तरण / हस्तान्तरण राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 07.08.2024 को वन विभाग के नाम कर दिया गया है। (प्रमाण पत्र संलग्न)

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

पत्रांक / तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिपिः–

1. सहायक अभियन्ता (तृतीय), निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

:: क्षतिपूरक वृक्षारोपण हस्तान्तरण/नामान्तरण प्रमाण पत्र::

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम–नैणी, तहसील–द्वाराहाट में सिविल सोयम भूमि के श्रेणी 9,3(ड0) के खाता सं0–21 के खेत नं0–1509 मध्ये 2.188 है0, खेत नं0–1511, मध्ये 0.512 है0 कुल 2.70 है0 भूमि का राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 07.08.2024 को नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के नाम कर दिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

मौ० नि० रव्तौनी - ग्राम - नैनी - रा० ऊ० नि० प्रेम - नैनी - तहसील - इलाहाबाद (उत्तमेश)

नंजर कौशल जानह	1	2.784	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2	[illegible]	[illegible]		—
	3	[illegible]	[illegible]		—
	4	[illegible]	[illegible]		1
	5	[illegible]	[illegible]		—
	6	[illegible]	[illegible]		
	किमरा:				
	776	0.018	[illegible]		112
	779	0.027	से०		912
	781	0.012	से०		112
	783	0.015	से०		111
	किमरा:				
	1490	0.015	दाराई		111
	1496	0.013	से०		112
	1509	2.188	से०		7-812
	1511	0.789	से०		3812
	1513	2.149	से०		7-61-
	किमरा:				
	1942	0.023	पदमखेली		
	1943	0.005	से०		9=
	1954	0.003	से०		1
	1947	0.005	से०		=
	1948	0.128	से०		1
					61=
	किमरा:				
	3761	0.043	कुरमुली		
	3778	0.020	से०		2=
	3780	0.011	से०		9
	3815	0.040	से०		11—
	3820	0.008	से०		2
	3880	1.431	से०		8=
	416	66.254	—		691
					2452

मालेखा,
ग्राम-नैनी की भूमि जा० किमखलानी की उपयोग से
... नकल नैनी ... की गई।

इसरार अहमद 7-8-201
राजस्व उपनिरीक्षक
... [illegible]

कब्जा प्रमाण पत्र

ा नाम–: जनपद अल्मोडा मे राज्य योजना के अन्तर्गत कुनीगाड–हिरूली बाजार से रामपुर चौखुटिया
मोटर मार्ग।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि ग्राम–नैणी तहसील–द्वाराहाट जिला–अल्मोडा मे श्रेणी 9(3)ड0 खाता स0 21 खेत न0 1509 मध्ये 2.188 है0 खेत स0 1511 मध्ये 0.512है0 कुल 2.70 है0 भूमि का सीमांकन के उपरान्त वन विभाग के कब्जे मे ले लिया गया है।

कब्जा दिया गया 24/05/2024

प्रस्तावक विभाग

व. द.

कब्जा लिया गया

वन विभाग